



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 2019/भाद्र 20, 1941

No. 315]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2019/ BHADRA 20, 1941

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019

सं. बी-33/13/19/2009-स्था. IV.—क.रा.बी. (साधारण) विनियमावली, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में, अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम एतद्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः—

क्र.सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	विनियम के अधीन
1.	श्रम एवं रोजगार मंत्री, हिमाचल प्रदेश	अध्यक्ष	विनियम 10(1)(क)
2.	अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार	उपाध्यक्ष	विनियम 10(1)(ख)
3.	अपर मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार), हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य	विनियम 10(1)(ग)
4.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, हिमाचल प्रदेश	सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(i)
5.	श्री शैलेश अग्रवाल, अध्यक्ष, बी.बी.एन. उद्योग संघ (पंजीकृत) झारमाजरी, बी.बी.एन.डी.ए. कार्यालय के पास, बढी, जिला-सोलन, हिमाचल प्रदेश	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ड)
6.	श्री हरीश अग्रवाल, मेसर्स एशियन सीमेंट्स कंपनी, गांव-वीर प्लासी, डाकघर-मंझोली नालागढ़, जिला-सोलन, हिमाचल प्रदेश	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
7.	श्री चमन कपूर, मथपुरे उद्योग संघ, जिला-ऊना, हिमाचल प्रदेश	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
8.	श्री राकेश शर्मा, अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (हिमाचल प्रदेश) वार्ड सं.-9, संतोषगढ़, जिला-ऊना	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ड)
9.	श्री जगत राम (सीआइटीयू) एच.पी. सं.-9, बाबा भवन, दी मॉल, शिमला	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक

10.	श्री मनोहर लाल 'बबलू पंडित' (राज्य अध्यक्ष, एच.पी.आइ.एन.टी.यू.सी.), सुपुत्र स्वर्गीय राम असरा, वार्ड सं.-2, बद्दी, तहसील-बद्दी, जिला-सोलन	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परंतुक
11.	क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी.निगम, साईं रोड, बद्दी, जिला-सोलन	सदस्य सचिव	विनियम 10(3)

पी. बी. मणि, अपर आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./204/19]

**EMPLOYEE'S STATE INSURANCE CORPORATION  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd September, 2019

**No. V-33/13/19/2009-E.IV.**—In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Himachal Pradesh State, which shall consist of the following members, namely:—

Sl. No.	Name of Representative	Designation	Under Regulation
1	Minister of Labour & Employment, H.P.	Chairman	Reg. 10(1)(a)
2	Addl. Chief Secretary (Health) to the Govt. of H.P.	Vice-Chairman	Reg. 10(1)(b)
3	Addl. Chief Secretary (Labour & Employment) to the Govt. of H.P.	Member	Reg. 10(1)(c)
4	Director, Health Services, H.P.	Member	Reg. 10(1)(d)(i)
5	Sh. Shailesh Aggarwal, President, B.B.N. Industries Association (Registered), Jharmajri, Near BBNDA Office, Baddi, Distt. Solan, H.P.	Employers' Representative	Reg. 10(1)(e)
6	Sh. Harish Aggarwal M/s Asian Cements Company, Vill. Veer Plassi, P.O. Manjholi Nalagarh, Distt. Solan, H.P.	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
7	Sh. Chaman Kapur, Mathpure Industrial Association, Distt. Una, H.P.	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
8	Sh. Rakesh Sharma, President Bhartiya Mazdoor Sangh (H.P.) Ward No. 9, Santosh Garh, Distt. Una	Employees' Representative	Reg. 10(1)(e)
9	Sh. Jagat Ram (CITU) H.P. No.-9, Bawa Building, The Mall, Shimla	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
10	Sh. Manohar Lal "Bablu Pandit" (State President, H.P.INTUC) S/o Late Sh. Ram Asra, Ward No. 2, Baddi, Tehsil Baddi, Distt. Solan	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
11	The Regional Director, ESIC, Sai Road, Baddi, Distt. Solan	Member Secretary	Regulation 10(3)

P. B. MANI, Addl. Commissioner

[ADVT.-III/4/Exty./204/19]